(1)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक एफ13–47 / 20 / 2010 / 3 रायपुर, दिनांक 10.8.11

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़
4. समस्त सहायक आयुक्त
   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग
   छत्तीसगढ़

विषय :– **6 से 14 आयु वर्ग आयु के समस्त बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से सबंधित अधिनियम अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन ।**

–0–0–

बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2009 अंतर्गत बनाये गये नियम 2010 के नियम 3 के अनुसार किया जाना है ।

<u>संरचना</u> :

विद्यालय प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1. विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्य संयोजक सहित कुल 16 सदस्य होंगे । समिति के अन्य 15 सदस्य निम्नानुसार प्रवर्ग के होंगे :–
   1.1. समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अर्थात 12 सदस्य बच्चों के माता–पिता या पालक होंगे ।
   1.2. समिति के शेष 25 प्रतिशत सदस्यों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :–
      अ. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई सदस्य अर्थात 1 सदस्य स्थानीय प्राधिकरण (पंचायत/नगरीय संस्था) के निर्वाचित सदस्यों में से होगा । जिसका चयन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा ।
      ब. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई अर्थात 1 सदस्य विद्यालय के अध्यापकों में से होगा । जिसका चयन विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा ।

...2

(2)

स. 25 प्रतिशत अर्थात 4 का एक तिहाई अर्थात 1 सदस्य स्थानीय शिक्षाविदो/विद्यालय के बालकों में से होगा । जिसका चयन समिति में माता–पिता/पालकों द्वारा किया जायेगा ।

टीप :– **विद्यालय प्रबंध समिति में उपर्युक्तानुसार 15 सदस्यों में से 50 प्रतिशत अर्थात 8 पदों पर महिला सदस्य होंगी ।**

2. विद्यालय प्रबंध समिति अपने कियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता–पिता/पालक सदस्यों मे से 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी ।
3. विद्यालय का प्रधान अध्यापक या जिस विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजक होगा ।

4. **बैठक :**

विद्यालय प्रबंध समिति माह में कम से कम 1 बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चिय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और सार्वजनिक किये जायेंगे ।

कोरम :

बैठक हेतु पालक सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य अर्थात 4 तथा चयनित सदस्यों में से कम से कम 1 सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगा ।

5. कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल शिक्षा सत्र के लिए ही होगा ।

6. पद से मुक्ति :

1. कोई भी सदस्य, सदस्य संयोजक को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकेगा ।
2. बिना पर्याप्त कारण के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने से सदस्यता समाप्त हो जायेगी । इसकी सूचना सदस्य संयोजक द्वारा दी जायेगी ।
3. पालक सदस्य की सभी संतानो/पाल्यों के स्कूल छोड़ देने पर अथवा लगातार 1 माह अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, इसकी सूचना सदस्य संयोजक द्वारा दी जायेगी । बच्चों की शारीरिक अस्वस्थता में यह शिथिलनीय होगा ।
4. किसी भी सदस्य की सदस्याता समाप्त होने पर शेष पालक सदस्यों द्वारा उसी प्रकार के सदस्य का चयन किया जायेगा, जिस प्रकार के सदस्य की सदस्यता की समाप्त हुई हो ।

...3

7. कृत्य : कार्य एवं अधिकार

विद्यालय प्रबंध समिति निःशुल्क एवं अनिर्वाय बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 21 की उपधारा 2 के खण्ड क से घ में निश्चिय कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी ।

i. अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता–पिता और सरंक्षक, के कृर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास के जनसाधरण को सरल और सृजनात्मक रूप से संसूचित करना :

ii. धारा 24 के खण्ड क और ड. तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

iii. इस बात की मानिटर करना कि अध्यापकों द्वारा धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ।

iv. विद्यालय में आसपास के सभी बालःको के नामाकंन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ।

v. अनुसूची में विनिर्दिष्ट सनियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना ।

vi. बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किये जाने ओर धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंधों को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना ।

vii. आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना ।

viii. निःशक्ताग्रसत बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ।

ix. विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की मानिटर करना ।

x. विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ।

अतः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत बने नियम 2010 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्तानुसार प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन सुनिश्चित किया जाये ।

(एम.के.राउत) 16/9/11
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,रायपुर
अधिसूचना
===0===

क्रमांक एफ 13–47/20–तीन/2010 रायपुर, दिनांक 15.11.2010.

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

भाग एक–प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 कहलाएंगे ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(क) "अधिनियम "से अभिप्रेत है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009;
(ख) "आंगनबाड़ी "से अभिप्रेत है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र;
(ग) "नियत तारीख "से अभिप्रेत है, राजपत्र में यथा अधिसूचित वह तारीख जिसको अधिनियम प्रवृत्त होता है;
(घ) "जिला शिक्षा अधिकारी "से अभिप्रेत है, किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारसाधक समुचित सरकार का कोई अधिकारी;
(ङ) "छात्र-शिक्षक संचित अभिलेख "से अभिप्रेत है, विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख;
(च) "विद्यालय योजना निर्माण "से अभिप्रेत है, सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना।

(2) इन नियमों में " प्ररूपों "के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इसके परिशिष्ट एक में उपवर्णित प्ररूपों के प्रति निर्देश है।
(3) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए नियत हैं।

भाग दो–विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य.– (1) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जो इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन राज्य शासन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता–पिताओं या संरक्षकों में से होगा।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा.–

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा;

(दो) विद्यालय के अध्यापकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा;

(तीन) स्थानीय शिक्षाविदों, विद्यालय के बालकों में से एक–तिहाई जिनका विनिश्चय उक्त समिति में माता–पिताओं द्वारा किया जाएगा;

(चार) विद्यालय प्रबंध समिति में खण्ड (एक), (दो), (तीन) एवं (चार) को मिलाकर 50% महिलाएँ सदस्य होंगी।

(4) उक्त समिति अपने क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करेगी। विद्यालय का प्रधान अध्यापक, या जहां विद्यालय में प्रधान अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, उक्त समिति का पदेन सदस्य–संयोजक होगा।

(5) उक्त समिति माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) उक्त समिति, धारा 21 की उप–धारा (2) के खंड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्-

(क) अधिनियम में यथा प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्त्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास के जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में संसूचित करना;

(ख) धारा 24 के खंड (क) और (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) इस बात को मानिटर करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाए रखने को मानिटर करना;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उप–धारा

(2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानिटर करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानिटर करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानिटर करना;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(7) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक खाते में रखा जाएगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जाएगी।

(8) उप–नियम (6) के खंड (ञ) में और उप–नियम (7) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और उनके तैयार किए जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना.– (1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उप–योजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्:–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षा-वार नामांकन के प्राक्कलन;

(ख) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा;

(ग) अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्षों की अवधि से ऊपर अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के संबंध में वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और गणवेश जैसी बालकों की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त अपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

भाग तीन—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

5. विशेष प्रशिक्षण.— (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और प्रबंधनाधीन विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति, विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्:—

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, आयु अनुसार समुचित शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।